प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

(कार्या)लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

(रा)जस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 67 / 2016

दायर दिनांक – 17.08.2016

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2016 / 00050

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री हीरा पुत्र श्री लाला (मृतक) जरिये वरिसान 1 / 1. शम्भू देवी पत्नी हीरा 1 / 2. शिवराज पुत्र हीरा 1 / 3. नौरत पुत्र हीरा 1 / 4. प्रेम पुत्री हीरा 1 / 5. मीरा पुत्री हीरा समस्त जाति रावत निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित धारा–132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में प्रार्थी के नाम अंकित नामान्तरकरण सं. 652 दिनांक 05.04.2006 एवं

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

...तरकरण सं. 1029 दिनांक 16.09.2010 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी के खाता ...ख्या 323 के कुल किता 06 कुल रकबा 0.7784 हैक्ट. पर लाला पुत्र रामा के स्थान पर ...हीरा पुत्र लाला हस्सा 1/4 जाति रावत सा. देह खातेदार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसका वर्णन वर्किंग व वर्तमान जमाबंदी के अनुसार निम्न प्रकार है–

साबिक		हाल	
खसरा नं.	रकबा(बीघा)	खसरा नं.	रकबा(हैक्ट.)
59	04–06–00	816	0.70
62	04–12–00	840	0.34
		841	0.36
		842	0.04
67	01–14–00	867	0.27
		867/3277	0.01
60	01–18–00	815	0.31
61	02–08–00	814	0.38
63	01–16–00	839	0.29
65	01–03–00	836	0.11
		864	0.03
		865	0.05
66	01–12–00	864	0.07
		865	0.11
		866	0.08
68	02–01–00	868	0.32
		868/3278	0.01
69	02–12–00	862	0.42
70	08–12–00	837	0.04
		863	1.15
		853/2923	0.07
		[illegible]	0.03
		[illegible]	0.10
71	02–17–00	[illegible]	0.45
		836/3274	0.01
72	00–04–00	[illegible]	0.03
73	01–12–00	844	1.62
		852/2927	0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

उक्त आराजी के मूल खातेदार हालू पुत्र लाला, झुम्मी पुत्री लाला, मु. लाछी पत्नी शैतान, सांवरा पुत्रान लादू, सीता, शांति, इन्द्रा पुत्रियां लादू थे। जिनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अपने हिस्से का हक त्याग किया गया था जिसके आधार पर वर्किंग खसरा नं. 59, 62, एवं 67 का नामान्तरकरण प्रार्थी के पक्ष जरिये नामान्तरकरण सं. 652 दिनांक 05.04.2006 को भरा जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया तथा वर्किंग खसरा नं. 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73 जिनके मूल खातेदार शैतान, सांवरा पुत्रान लादू, मु. लाछी बेवा लादू, सीता, शांति, इन्द्रा पुत्रियां लादू,, हालू पुत्र लाला, झुम्मी पुत्री लाला द्वारा प्रार्थी के पक्ष में बेचाननामा किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी के पक्ष में उक्त खसरा नम्बरान का नामान्तरकरण सं. 1029 दिनांक 16.09.2010 को तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया।

भू–बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान आधारभूत जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 मुर्तिब करते समय प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विलोपित कर दिया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1899 दिनांक 17.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि '' **ग्राम देवनगर के सम्वत् 2065–84 के मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्किंग खसरा के हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार बने है**

साबिक		हाल	
खसरा नं.	रकबा(बीघा)	खसरा नं.	रकबा(हैक्ट.)
59	04–06–00	816	0.70
62	04–12–00	840	0.34
		841	0.36
		[illegible]	0.04
67	01–14–00	[illegible]	0.27
		[illegible]3277	0.01
60	01–18–00	[illegible]	0.31
61	02–08–00	814	0.38
63	01–16–00	839	0.29

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

65	01—03—00	836	0.11
		864	0.03
		865	0.05
66	01—12—00	864	0.07
		865	0.11
		866	0.08
68	02—01—00	868	0.32
		868 / 3278	0.01
69	02—12—00	862	0.42
70	08—12—00	837	0.04
		863	1.15
		853 / 2923	0.07
		852 / 2924	0.03
		844 / 2925	0.10
71	02—17—00	836	0.45
		836 / 3274	0.01
72	00—04—00	838	0.03
73	01—12—00	844	1.62
		852 / 2927	0.10

वर्तमान सेग्रिगेशन जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 के खाता सं. 151 में दर्ज खसरा सं. 814, 815, 836, 836 / 3274, 838, 839, 844, 852 / 2927, 864, 865, 866, 868 / 3278 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4356 हेक्टेयर पर वादी हीरा पुत्र लाला हिस्सा 1 / 4 जाति रावत सा. देह खातेदार सहखातेदारी में दर्ज है इसी खाता सं. 149 में दर्ज खसरा सं. 816, 840, 841, 842, 867, 867 / 3211 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3296 हैक्टेयर पर वादी हीरा पुत्र लाला हिस्सा 1 / 4 जाति रावत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1 / 4 (पुर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पुष्कर सह. खातेदारी में दर्ज है अतः उक्त खसरों / खातों में किसी प्रकार कि कार्यवाही (वादी से संबंधित) अपेक्षित नहीं है।वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 के खाता सं. 323 में दर्ज खसरा नं. 837, 844 / 2925, 852 / 2924, 853 / 2923, 862, 863, कुल किता 6 कुल रकबा 0.7784 हैक्ट. पर वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं. 296 में दर्ज नामान्तरण सं. 249 दिनांक 29.08.1998, नामान्तरण सं. 647 दिनांक 05.04.2006, नामान्तरण सं. 652 दिनांक 05.04.2006 तथा नामान्तरण सं. 1029 दिनांक 16.09.2010 को आधार पर [illegible] पुत्र रामा हिस्सा 1 / 4 जाति रावत सा. देह खातेदार के स्थान पर हीरा पुत्र लाला हिस्सा 1 / 4 जाति रावत सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना विधिसम्मत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में प्रार्थी के नाम अंकित नामान्तरकरण सं. 652 दिनांक 05.04.2006 एवं नामान्तरकरण सं. 1029 दिनांक 16.09.2010 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 323 के कुल किता 06 कुल रकबा 0.7784 हैक्ट. पर लाला पुत्र रामा के स्थान पर हीरा पुत्र लाला हस्सा 1/4 जाति रावत सा. देह खातेदार मे दुरूस्ती करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित धारा–132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041 में प्रार्थी के नाम अंकित नामान्तरकरण सं. 652 दिनांक 05.04.2006 एवं नामान्तरकरण सं. 1029 दिनांक 16.09.2010 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 323 के कुल किता 06 कुल रकबा 0.7784 हैक्ट. पर लाला पुत्र रामा हिस्सा 1/4 जाति रावत सा. देह खातेदार के स्थान पर हीरा पुत्र लाला हिस्सा 1/4 जाति रावत सा. देह खातेदार दुरूस्त किया जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)